

**राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर**

क्रमांक:- मुसप्र/2017/513

दिनांक:- 18/8/17

**आदेश**


आवासीय अभियन्ता, खण्ड-ग्यारह, जयपुर के अधीन सेक्टर-8, इंदिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर आवासीय योजना के निम्नलिखित अधिशेष फ्लेटों का अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम, जयपुर के प्रस्तावानुसार एवं संचालक मण्डल की 230वीं बैठक दिनांक 01.04.2016 के बिन्दु संख्या 230.21 में लिये गये निर्णयानुसार खुली बिक्री योजना के अन्तर्गत नगद भुगतान पद्धति के माध्यम से निस्तारण किए जाने की स्वीकृति नियमानुसार एतद् द्वारा प्रदान की जाती है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आय वर्ग	आवास सं.	कुल आवास
1	MIG-B (B+S+9) ब्लॉक B-4 कंचन जंगा अपार्ट-मेन्ट	8/MB/B-6/101, 8/MB/B-6/102, 8/MB/B-6/103, 8/MB/B-6/104, 8/MB/B-6/105, 8/MB/B-6/107, 8/MB/B-6/201, 8/MB/B-6/203, 8/MB/B-6/204, 8/MB/B-6/205, 8/MB/B-6/206, 8/MB/B-6/303, 8/MB/B-6/304, 8/MB/B-6/308, 8/MB/B-6/401, 8/MB/B-6/402, 8/MB/B-6/403, 8/MB/B-6/405, 8/MB/B-6/406, 8/MB/B-6/407, 8/MB/B-6/408, 8/MB/B-6/501, 8/MB/B-6/502, 8/MB/B-6/503, 8/MB/B-6/504, 8/MB/B-6/505, 8/MB/B-6/506, 8/MB/B-6/507, 8/MB/B-6/508, 8/MB/B-6/602, 8/MB/B-6/603, 8/MB/B-6/604, 8/MB/B-6/605, 8/MB/B-6/606, 8/MB/B-6/607, 8/MB/B-6/701, 8/MB/B-6/703, 8/MB/B-6/704, 8/MB/B-6/706, 8/MB/B-6/707, 8/MB/B-6/708, 8/MB/B-6/801, 8/MB/B-6/802, 8/MB/B-6/803, 8/MB/B-6/804, 8/MB/B-6/805, 8/MB/B-6/806, 8/MB/B-6/808, 8/MB/B-6/901, 8/MB/B-6/902, 8/MB/B-6/903, 8/MB/B-6/904, 8/MB/B-6/905, 8/MB/B-6/907	54

खुली बिक्री योजना अन्तर्गत निस्तारण हेतु निम्न शर्तों की पालना सुनिश्चित करें:-

1. फ्लेट्स आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है।
2. उक्त फ्लेट्स के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य फ्लेट्स खुली बिक्री योजना हेतु रिक्त नहीं है।
3. उक्त फ्लेट्स का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. फ्लेट्स का निस्तारण खुली बिक्री योजना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती यह सुनिश्चित कर ही निस्तारण करें।
5. निस्तारण हेतु प्रस्तावित फ्लेटों बाबत किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें कोई भी फ्लेटों किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा0आ0म0, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, रा0 आ0 मा0, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, रा0आ0म0 जयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-ग्यारह, रा0आ0म0, जयपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश को प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवाये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

  
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

अनुपूरित  
जयपुर